भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1218
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवाओं में सुधार हेतु उपाय

1218. श्री पी. वेलुसामी:
श्री एस. आर. पार्थिबन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और उपलब्धता में सुधार के लिए उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए उपायों का महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सम्पूर्ण देश में आयुष पद्धतियों और औषधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत अब तक किए गए उपायों का महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित सम्पूर्ण देश में एनएएम के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ)**:** जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण पूरे देश में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और पहूंच में सुधार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। तथापि, भारत सरकार ने अवसंरचनात्मक विकास और आयुष सेवाओं तक पहूंच सहित आयुष पद्धतियों के समग्र विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में आयुष पद्धतियों और दवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों का प्रावधान करता है-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों का संचालन
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण

v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण(बीसीसी)

ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता

x. आयुष ग्राम

xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

xii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/ पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में एनएएम के तहत स्वीकृत/आबंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में एनएएम के तहत, स्वीकृत/आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत/ आबंटित/ जारी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत/ आबंटित/ जारी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत/ आबंटित/ जारी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत/ आबंटित/ जारी	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	251.81	251.81	296.06	295.44	142.39	142.39	307.54	212.40
2	आंध्र प्रदेश	385.40	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	678.09	678.09	180.85	180.85	402.04	239.78	593.02	22.15
4	असम	347.15	341.26	639.52	570.47	1011.77	969.66	3471.45	1312.33
5	बिहार	516.54	32.36	1686.08	1686.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	195.81	156.17	94.86	94.86	189.74	115.57	226.32	0.00
7	छत्तीसगढ़	2691.07	1852.45	841.31	634.99	0.00	0.00	2151.43	713.91
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	65.99	65.99	218.99	218.99	142.29	105.37	314.15	0.00
11	गुजरात	244.01	189.09	466.93	393.03	1908.62	310.07	1480.71	243.42
12	हरियाणा	3034.42	2801.44	647.70	610.23	1219.91	1026.96	2017.73	773.70
13	हिमाचल प्रदेश	494.94	494.94	1261.80	997.43	3873.58	3410.45	3659.22	1378.37
14	जम्मू-कश्मीर	2285.75	2221.86	1313.11	1245.61	4895.09	4525.91	5632.77	3748.35
15	झारखंड	0.00	0.00	1309.77	1309.76	7752.57	6911.24	2390.42	0.00
16	कर्नाटक	2184.37	1934.94	1821.46	1734.33	1714.09	1336.24	3354.36	2554.21
17	केरल	2337.59	2246.45	1153.39	1153.39	4399.83	3037.78	5326.27	2120.92
18	लद्दाख	0.00	0.00	187.45	151.15	72.27	72.27	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	19.61	18.01	64.26	64.26	116.32	114.30	332.01	149.02
20	मध्य प्रदेश	5608.63	5500.22	3123.20	3059.21	1716.00	1237.88	3115.35	1170.00
21	**महाराष्ट्र**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1117.77**	**169.75**
22	मणिपुर	571.72	519.13	170.04	119.04	1723.00	452.40	0.00	0.00
23	मिजोरम	657.73	613.45	259.08	255.11	117.27	116.82	853.40	467.13
24	मेघालय	247.97	247.97	609.78	609.78	796.84	786.97	861.30	817.20
25	नागालैंड	1254.89	1254.89	232.27	232.27	495.78	450.01	677.98	0.00
26	ओडिशा	716.64	560.97	1075.38	794.73	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पुडुचेरी	47.67	46.99	200.27	194.96	623.95	538.50	0.00	0.00
28	पंजाब	89.77	43.46	527.28	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00
29	राजस्थान	2276.40	1692.22	3189.00	2140.93	0.00	0.00	3731.51	0.00
30	सिक्किम	350.44	350.44	99.30	99.30	626.06	626.08	340.74	170.37
31	**तमिलनाडु**	**616.58**	**616.58**	**2348.27**	**2147.03**	**2428.69**	**1574.48**	**3317.88**	**1250.11**
32	तेलंगाना	0.00	0.00	3132.25	3044.95	0.00	0.00	1225.17	0.00
33	त्रिपुरा	270.08	241.27	138.71	106.22	1030.90	482.01	566.99	0.00
34	उत्तर प्रदेश	10373.86	10373.86	13809.72	13599.96	14437.60	12606.79	6209.30	0.00
35	उत्तराखंड	656.46	656.46	2622.50	2560.74	1855.80	1821.25	2156.25	999.51
36	पश्चिम बंगाल	247.35	247.34	2118.05	1870.09	1056.58	612.63	1689.79	895.52
	कुल	**39718.72**	**36447.03**	**45838.63**	**42502.14**	**54748.94**	**43623.79**	**57120.82**	**19168.37**